राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(8) राज/वाद/24 जयपुर दिनांक 03/09/24

::आदेश::

श्री नाथू सिंह राठौड़, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक एएजी/2024/ दिनांक 31.07.2024 के क्रम में उनके पूर्व जूनियर अधिवक्ता श्री नवनीत सिंह बिर्ख, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक–आर/981/2012) के स्थान पर श्री करणी दान सिंह चारण, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/1375/2006) को दिनांक 01.07.24 से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैः–

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जोधपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी है।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित विपरीत रूप से प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0।
4. सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
5. सम्बन्धित अधिवक्ता।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
9. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(महेश पुनेठा) 03/09/24
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)